कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर (म.प्र.)

–::– नीलामी विज्ञप्ति –::–

क्रमांक 388/ तीन–9–5/2015 बुरहानपुर, दिनांक :: 20/02/25

सर्व साधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, बुरहानपुर के अधिपत्य का शासकीय वाहन TATA INDICA-CO VISTA 2009 वाहन क्रमांक एम.पी.–02 ए.व्ही.– 2785 (जहां है, जैसी स्थिति में है) खुली नीलामी के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

नीलामी किये जाने वाले वाहन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	शा. वाहन क्रमांक /माडल वर्ष	स्थान जहां पर वाहन रखा गया।	वाहन अपसेट मूल्य राशि	अमानत राशि	रिमार्क
1	एम.पी. –02 ए.व्ही.– 2785 TATA INDICA-CO VISTA 2009	नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश बुरहानपुर	1,20,000/–	12,000/–	

उपरोक्त शासकीय वाहन एम.पी.–02 ए.व्ही.– 2785 TATA INDICA-CO VISTA 2009 की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

निविदा शर्ते :–

01. नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय प्रातः 10.30 से सायं 05.30 बजे तक जिला न्यायालय, बुरहानपुर के परिसर जिला नाजिर, सेलअमीन, बुरहानपुर को अमानत राशि रूपये 12,000/– रू. एक दिवस पूर्व तक नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकेगा। उक्त राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

02. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप मे कार्यालयीन समय में जिला न्यायालय बुरहानपुर के नजारत अनुभाग में निविदाकर्ता चाहे तो 01 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा और जमा राशि की प्राप्त रसीद द्वितीय प्रति के साथ नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेगें।

03. वाहन की नीलामी प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं नजारत अनुभाग बुरहानपुर के माध्यम से नजारत अनुभाग द्वारा न्यायालय परिसर, बुरहानपुर में दिनांक 22.03.25 को आयोजित की जाएगी।

04. अधिकतम नीलामी बोली को स्वीकार किये जाने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय, बुरहानपुर को होगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

05. अधिकतम नीलामी बोलीकर्ता को नीलाम बोली की शेष राशि 03 दिवस के भीतर नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर में जमा कराकर वाहन का आधिपत्य प्राप्त करना तथा स्वयं के व्यय पर वाहन ले जाना होगा।

06. अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा राशि को जमा न कराये जाने की स्थिति में उसके द्वारा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

07. नीलामी स्वीकृत पश्चात् क्रेता को नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र कार्यालय से प्राप्त कर परिवहन विभाग से नया पंजीयन स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन के कमांक का प्रयोग केता द्वारा नहीं किया जावेगा।

08. वाहन की उचित कीमत प्राप्त न होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा बुलायी जावेगी।

09. वाहन जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम होगा। वाहन का अवलोकन करना चाहे. तो नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर में कार्यालयीन समय में नीलामी तिथि के 1 दिन पूर्व किया जा सकेगा।

10. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालीन क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय, बुरहानपुर का होगा।

11. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन उच्च न्यायालय म.प्र. की वेवसाईट mphc.gov.in पर किया जा सकेगा।

12. उकत खुली नीलामी प्रकिया में उच्चतम बोली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही नीलामी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाकर वाहन सपुर्दगी की कार्यवाही की जावेगी।

sd/-

प्रधान जिला न्यायाधीश
जिला न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 388(4) तीन–9–5/2015 बुरहानपुर, दिनांक :: 20/02/15

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय,विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड़, भोपाल की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
3. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त सूचना समस्त सार्वजनिक स्थान ,कार्यालय कमीशनर/कलेक्टर के नोटिस बोर्ड एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य विभागाध्यक्ष के सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाना सूनिश्चित करें।
4. श्री राजेश नागले, जूनियर सिस्टम एंनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त शासकीय वाहन की निलामी की विज्ञप्ति ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रधान जिला न्यायाधीश
जिला न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.)